17/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित हुए। विपक्षीगण सं. 3, 4, 6, 8 को कारण पृच्छा पत्र प्रेषित करने एवं 7 की तलबी के पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 29/09/25 को पेश हो।

29/09/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक द्वारा जवाब पेश किया गया है। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण 3, 4, 6, 8 को कारण पृच्छा पत्र प्रेषित करने हेतु पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 13/10/25 को पेश हो।

13/10/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी हुए। विपक्षीगण सं. 3, 4, 6, 8 की कारण पृच्छा पत्र प्रेषित करने अवसर चाहा। अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली दिनांक 15/10/25 को पेश हो।

15/10/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 14/08/25 एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण सं. 3, 4, 6, 8 की मृत्यु होकर रिपोर्ट पर अंकन है एवं आदेशिका में भी अंकन है। इसके बावजूद अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा विहित समय सीमा में मृतकों के कारण पृच्छा प्रार्थना पत्र प्रेषित नहीं किये हैं। मृतक विपक्षीगण के विधिक वारिसान का रेकार्ड पर लिये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस हेतु अभिभाषक प्रार्थीगण को अंतिम अवसर भी प्रदान किये गये हैं। नियमानुसार अधिकतम 30 दिवस की अवधि के भीतर प्रार्थना पत्र पत्र प्रेषित किया जाना चाहिए था। मृतक का आदेशिका एवं तहसील रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है। अतः यह कही नहीं बताया जा सकता है कि मृतक की प्रार्थीगण अधिवक्ता को जानकारी नहीं थी। विपक्षीगण 3, 4, 6, 8 की मृत्यु का तथ्य रिकार्ड पर आए लगभग 2 वर्ष 2 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इससे यह

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज.)

IS No. 2023/220, कानी 1/1 चांद कंवर, प्र०पत्र 171/2023

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	जाहिर होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता द्वारा अनुचित तत्परता का कोई परिचय नहीं दिया तथा न ही ऐसी कोई परिस्थिति मानी जा सकती है कि विलम्ब कारण परिस्थितियां प्रार्थीगण या अधिवक्ता प्रार्थीगण के नियंत्रण के परे हो अतः प्रकरण में पूर्व साक्ष्य विलम्ब को माफ किये जाने का भी कोई आधार नहीं माना जा सकता बल्कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा इसके लिए बार-बार मौके लिये गये है अतः प्रार्थना पत्र अपहरित हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र अपहरित हो जाने के इसी स्तर पर खारिज किया जाता है निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली इसी तारीख नियत बोर्ड पर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)	नं. व अहकाम हुक्म की जारी